

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 14/14 वैवाहिक

संतोष पुत्र रामसेवक आयु 26 साल
निवासी ग्राम देहगौव थाना मौ परगना
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती गोरीबाई पत्नी संतोष आयु 23
साल जाति जाटव निवासी ग्राम बडा
(मोहन सिंह का पुरा) तहसील मेंहगौव
जिला भिण्ड म०प्र०

-----अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री रमेश यादव अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक को पारित किया गया //

1- इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

2- आवेदक/याचिकाकर्ता का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह दिनांक 06.05.09 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के उपरान्त अनावेदिका आवेदक के यहाँ आई और दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगी। दोनों के संसर्ग से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। आवेदक अनावेदिका को

शादी के बाद से हमेशा खुश रखता था और उसके द्वारा दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया गया है। अनावेदिका के खाने-पीने, रहने आदि की उचित व्यवस्था की गई। अनावेदिका आवेदक के द्वारा कमाई हुई धनराशि अपने पिता को देती थी जिससे आवेदक ने मना करता था। अनावेदिका के द्वारा अपने पिता के बहकावे में आकर फाँसी लगाकर मर जाने की धमकी भी दी गई थी और एक बार मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की गई। उसे आवेदक और उसके माता-पिता ने समझाया था इसी बात पर वह नाराज हो गई और झूठी रिपोर्ट रिपोर्ट करने एवं मरने की धमकी आवेदक को दे रही है। आवेदक अनावेदिका के साथ कुछ दिन सिरोल नई वस्ती ग्वालियर में रहा, वहाँ पर भी अनावेदिका के द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश की गई तो अनावेदक ने थाने में रिपोर्ट की जिससे नाराज होकर छुपके से दिनांक 04.04.2013 को बच्चा को लेकर चली गई। अनावेदिका के द्वारा पुलिस थाना पडाव में शिकायती आवेदनपत्र दिया गया था जिस पर दिनांक 27.04.2013 को परिवार परामर्श केन्द्र में उभय पक्षों को बुलाया गया जहाँ कि दोनों का राजीनामा हुआ। पूर्व में धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का आवेदनपत्र जो कि आवेदक के द्वारा पेश किया था वह भी इस आधार पर खारिज करा लिया गया था।

3— आवेदक ने अपने आवेदनपत्र में आगे यह बताया है कि दिनांक 05.03.2014 को अनावेदिका अपने पुत्र और पुत्री को छोड़कर चुपचाप चली गई, साथ में सोने, चाँदी के गहने जेवर और तीस हजार रूपए नगद लेकर चली गई। दिनांक 06.03.2014 को आवेदक अपनी ससुराल ग्राम सडा (मोहन सिंह का पुरा) गया तो उसने कहा कि जेवर उसके पिता ने गिरमी रख दिये हैं जब जेवर उठा लेगे तब उसके पास आएगी, लेकिन वह आज तक बापस नहीं आई। आवेदक ने अनावेदिका से मोबाइल फोन से बात की लेकिन उसने आने से मना कर दिया और उसके भाई ने यह कहा कि बीस हजार रूपए दे दो तो भेज देंगे। अनावेदिका आवेदक को बिना किसी कारण के जानबूझकर दाम्पत्य अधिकारों से बंचित किए हुए है और अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है जिस कारण विवश होकर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना बावत आवेदनपत्र पेश किया गया है। आवेदक ग्राम देंहगवाँ परगना गोहद जिला भिण्ड का स्थाई निवासी है और अनावेदिका ग्राम देंहगवाँ में उसके साथ रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस आधार पर अनावेदिका को दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने का आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

4— प्रकरण में अनावेदिका समंस तामीली के उपरान्त दिनांक 09.05.2014 को न्यायालय में अपने अधिवक्ता सहित उपस्थिति हुई। मूल याचिका के जबाव हेतु समय चाहा, किन्तु उसके द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया और दिनांक 24.09.2014 को वह

अनुपस्थिति हो गई जिस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

5— आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक अनावेदिका से दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने का अधिकारी है?

6— आवेदक संतोष की ओर से अपने आवेदनपत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र तथा अपने पिता रामसेवक आवेदक साक्षी क्रमांक 2 का शपथपत्र पेश किया है। आवेदक संतोष ने अपने शपथपत्र में उसके आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि अनावेदिका के साथ दिनांक 06.05.2009 को उसका विवाह सम्पन्न हुआ था और अनावेदिका उसकी विवाहिता पत्नी हुई। उसके दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। आवेदक अनावेदिका को हमेशा खुश रखता था, लेकिन अनावेदिका अपने पिता के बहकावे में आकर फाँसी लगाने, मर जाने की धमकी देते थी और यह भी धमकी देती थी कि उसे भी मरवा देगी। अनावेदिका के द्वारा ग्वालियर में आत्महत्या करने की कोशिश भी की गई थी। थाना पड़ाव में दोनों बुलाये गए थे जिसमें आपसी राजीनामा हुआ था। आवेदक के अनुसार अनावेदिका पुनः चुपचाप बच्चों को छोड़कर दिनांक 05.03.2014 को अपने मायके जेबर लेकर चली गई है। मायके से वह लौटकर नहीं आ रही है वह बिना किसी कारण के आवेदक को दाम्पत्य अधिकारों से वंचित किए हुए है। जब कि आवेदक अनावेदिका को अपने पास रखने लिए तैयार है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरौक्त साक्ष्य अखण्डनीय रही है जो कि उसका कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है।

7— आवेदक संतोष के उपरौक्त कथन की सम्पुष्टि साक्षी रामसेवक आवेदक साक्षी क्रमांक 2 से भी होती है जिसने अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में उपरौक्त तथ्यों का समर्थन करते हुए अनावेदिका को बिना बताए घर से चले जाना और उसे लाने की काफी कोशिश किये जाने पर भी उसके न आने के बारे में बताया है। उक्त साक्षी का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का साक्ष्य अखण्डनीय रहा है।

8— प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अखण्डनीय साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ वर्ष 2009 में सम्पन्न हुआ था। अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ दाम्पत्य जीवन का सुचारु पूर्वक रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है और वह बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों के आवेदक से प्रथक रह रही है जो कि इस संबंध में आई हुई उपरौक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है।

9— अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए इस संबंध में

निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

- 1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, आवेदक के साथ आकर दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करे, जो कि आदेश दिनांक से एक माह के भीतर अनावेदिका आवेदक के साथ आकर दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करे।
- 2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।
- 3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक जो भी हो दी जावे।
तदनुसार आज्ञा तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड